

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रमाण पत्र अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई तारीख  
में दिनों अद्य वर्तमानी के बाबू है।  
उपलिख्त विवर 24 दिनों तक ही प्रयोग हो सकता है।  
वापस लौट होने के बाद यह विवर वापस आवश्यक नहीं विवर का उपयोग हो।



प्रमाण = फॉर्मलरी  
दूसरा = (0751) 2542895  
(0751) 2442295  
फैक्ट्र = (0751) 2541768

प्रेषक :

कूलगविव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
प्राप्तिक्रमांक: ग्वालियर/27/12/ ५०५८

दिनांक: 21/01/13

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा सम्बद्ध अंग कांगड़ ऑफ मृज्युक्षेश्व, ल्यालियर(0751-2432020) को द्वारा 2011-12 के लिये प्रत्यावेत्तांचालित गीष्ठ, प्राप्तवक्तव्य कक्षा पाठ्यक्रमों परिपाठों की अध्यादी समझौता हेतु अनुमंगाप्त प्रदान करने के लिये ग्राहकीय कुलपात्र महोदय/स्त्री अधिकारी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय प्रदान करने के लिये ग्राहकीय कुलपात्र महोदय/स्त्री समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारी 1973 के परिवेद्य 27(10) के अनुरूप निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, आचार्य, व्याख्याता अध्यात्मशास्त्रा, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442766)

(2) प्रो. रेणु श्रीमास्त्रव, प्राचार्य, बोर्डर कॉर्टेज, व्याख्याता।

(3) डॉ. आरबी. गर्ज, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्यात्मशास्त्रा, जी.वि.वि., ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा अनुग्रह है कि वे विरीक्षण 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निर्माण कर द्युक्त, धरोहर द्यायि, गोचिता शैक्षणिक/असैक्षणिक उपकरण, प्राप्तिक्रम कक्षा संस्था द्वारा प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रदान प्रथा, भूमि धनियर एवं प्राप्तवक्तव्य/अधिकारी विवरण विरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण द्वारा संकेती एवं भूमि धनियर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अध्यादी समझौता में विवरण नहीं दोगा एवं यदा सभी समझौता संघीय कार्याधीन दूर संकेती तथा शासन के विरोधी कार्यालय के द्वारा दोगा।

विवरण की दूरी के बाबू 30 दिवस में ग्राहकीय विश्वविद्यालय का विरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय वायातिय में विरीक्षण प्रतिवेदन दर्तुत दिया जावे। जिससे कि ग्राहकीय कार्याधीन (विश्वविद्यालय विरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण द्वारा संकेती एवं भूमि धनियर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अध्यादी समझौता में विवरण नहीं दोगा एवं यदा सभी समझौता संघीय कार्याधीन दूर संकेती तथा शासन के विरोधी कार्यालय के द्वारा दोगा।

विवरण के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की विवादों में ग्राहकीय विश्वविद्यालय का विरीक्षण नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय का विवरण जीवाजी विश्वविद्यालय के विवरण करना है। जिससे कि ग्राहकीय विवरण नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय का विवरण जीवाजी विश्वविद्यालय के विवरण करना है। अनियार्थ होगा। विरीक्षण 27(1)(7) के अनुसार समझौता प्राप्त किए जिए छात्रों के प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के द्वारा समझौता शास्त्रों में कार्यालय अधीक्षक / लालियर सहायक प्रशासनी लेकर जानेने वाला महाविद्यालय नहीं उन्नुरुद्धिति द्वारा विरीक्षण समिति को अवश्य करवायें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मालदेव महाविद्यालय द्वारा दें तो जाए।

#### प्रतिलिपि :-

1. ग्राहकीय सदस्यों की ओर सूचार्य एवं आवश्यक कार्याधीन हेतु।
2. प्राप्तवक्तव्य/अस्त्रश, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आवश्यक है कि विवरण के संयोजक द्वारा उपर्युक्त विवरण दिया जायें। उक्त विवरण 15 दिवस के अन्दर कराये की व्यवस्था करें।
3. आवश्यक उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भ्रमन, गोपाल
4. कुलपात्र के संविठ / कुलसंचिव के लिये राहगार, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कूलगविव (समझौता)